बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

E-mail/Fax

पत्रांकः– 6/वि01–10151/14–......2131

प्रेषकः– जयशंकर चौधरी,
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव।

सेवा में,
सभी कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक सहित),
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार।

पटना/दिनांक–.......22.10.14

विषयः– संवेदक को आवंटित कार्य प्रारम्भ नहीं करने अथवा अधूरा छोड़ने अथवा पूरा करने में अतिशय विलम्ब के कारण निविदा से वंचित किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि विभागीय कार्यों के समीक्षा के दौरान यह बात संज्ञान में आयी है कि विभिन्न प्रमण्डलों द्वारा संवेदक को आवंटित कार्य एकरारित अवधि के समाप्त होने के पश्चात् भी कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है अथवा एक लम्बे अर्से से अधूरा छोड़ दिया गया है अथवा कार्य में अतिशय विलम्ब किया गया है, जो एकरारनामा/एस0बी0डी0 के शर्तों के विपरित है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो गया है कि वैसे Defaulter संवेदकों को अन्य किसी भी निविदा में भाग लेने से तब तक बंचित (Debar) किया जाए जब तक वे लम्बित कार्य पूरा नहीं कर दें।

उक्त के आलोक में यह आवश्यक हो गया है कि विभागीय स्तर पर दोषी संवेदकों की एक पंजी संधारित की जाए ताकि उन्हें अगले निविदा से वंचित किया जा सके।

निविदा में भाग लेने वाले संवेदकों से इस आशय की घोषणा प्राप्त किया जाए कि उन्हें किसी आवंटित कार्य में Defaulter घोषित किया गया है या नहीं। इसके अनुपालन हेतु निविदा सूचना में यह उपबंध किया जाए कि "निविदाकारों द्वारा Defaulter के संबंध में घोषणा पत्र निविदा के तकनीकी वीड के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा रद्द कर दिया जाएगा"।

अतः निदेश है कि वैसे संवेदक जिनका कार्य पूर्ण करने का एकरारित अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया अथवा अधूरा छोड़ दिया गया अथवा पूरा करने में अतिशय विलम्ब किया जा रहा है, की सूची जिसमें संवेदक का नाम एवं पता, निबंधन संख्या, कार्य का नाम के साथ–साथ एकरारनामा संख्या अंकित हो 15 दिनों के अंदर मुख्यालय में Fax/E-mail के माध्यम से उपलब्ध करावें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

विश्वासभाजन

(जयशंकर चौधरी)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव।

ज्ञापांक–6/वि01–10151/14–2131 *दिनांक–*22.10.14
प्रतिलिपिः–सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक सहित), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(जयशंकर चौधरी)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव।

ज्ञापांक–6/वि01–10151/14–2131 *दिनांक–*22.10.14
प्रतिलिपिः-- प्रधान सचिव के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख–सह– विशेष सचिव/मुख्य अभियंता (ना0)/मुख्य अभियंता (रूपां0)/विशेष पदाधिकारी/ उप सचिव (प्र0को0)/उपनिदेशक (मू0)/कार्यपालक अभियंता (मो0)/कार्यपालक अभियंता (मो0मू0)/निदेशक, सी0सी0डी0यू0/निदेशक (जल–गुणवत्ता)/कम्प्यूटर प्रोग्रामर/आई0 टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(जयशंकर चौधरी)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव।